न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
790/2024

दायर दिनांक
07.08.2024

निर्णय दिनांक
11.09.2024

उनवान

1. श्री राजु उर्फ राजेन्द्र कुमार सुथार पुत्र प्यारा उर्फ प्यारचन्द सुथार (खाती) निवासी ईरास नई, सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा।

—— प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा राज0

—— विपक्षी

उपस्थितः— 1. अधिवक्ता प्रार्थी की और से अनिल कुमार धाकड
2. विपक्षी की और से पैराकार सरकार।

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकार्ड में हुई त्रुटि को दुरस्थ कराये जाने :—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की राजस्व ग्राम ईरास नई, पटवार हल्का सुवाणा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा के जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 की खाता संख्या नया 212 व पुराना खाता संख्या 205 में वर्णित खसरा नम्बर 3646/1 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3647/1 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3648/1 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3649 रकबा 0.5437 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3653 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3654 रकबा 0.1644 हैक्टेयर कुल किता 06 कुल रकबा 1.0115 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी व उसके दोनो भाई घनश्याम व राधेश्याम के नाम खातेदारी अधिकारों से दर्ज है जिसमें प्रार्थी का 1/3 हक हिस्सा निहित है। उक्त आराजियात में प्रार्थी अपने 1/3 हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग बहैसियत मालिक निरन्तर करता चला आ रहा है। उक्त आराजीयात के राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम राजु पुत्र प्यारा दर्ज है जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड, बैंक खाता में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र कुमार सुथार पुत्र श्री प्यारचन्द सुथार अंकित है किन्तु प्रार्थी का राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में बोलता नाम राजु व पिता का नाम प्यारा अंकित हो गया इस कारण उक्त आराजीयात के राजस्व रेकॉर्ड में शुद्धिकरण किया जाकर प्रार्थी का नाम राजू के स्थान पर राजेन्द्र कुमार सुथार व प्रार्थी के पिता के नाम में प्यारा के स्थान पर प्यारचन्द सुथार अंकित किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। प्रार्थी उक्त आराजीयात का खातेदार है और उक्त आराजीयात के राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज नाम राजू व आधार कार्ड में दर्ज नाम राजेन्द्र कुमार सुथार के सम्बंध में प्रार्थी ने 50/— रूपये के स्टाम्प पर एक शपथपत्र भी दिनांक 17/12/2019 को निष्पादित करा नोटरी से प्रमाणित करा रखा है जिसकी फोटो प्रति इस प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम राजु के स्थान पर राजेन्द्र कुमार सुथार व प्रार्थी के पिता के नाम में प्यारा के स्थान पर प्यारचन्द सुथार शुद्धिकरण कर अंकित किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 07.08.2024 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को सम्मन जारी किये गये विपक्षी की और से जवाब पेश हुआ। विपक्षी की और से बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया है कि पटवारी हल्का सुवाणा की रिपोर्ट एवं मौका पर्चा दिनांक 28.08.2024 के अनुसार राजु पुत्र प्यारा जाति खाती प्रार्थी का बोलता नाम है जबकि प्रार्थी का आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेज में नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र प्यारचन्द जाति सुथार के रूप में दर्ज है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थी अधिवक्ता की बहस विपक्षी पैराकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजात का भलिभांति परीक्षण किया गया। पटवारी हल्का सुवाणा की रिपोर्ट एवं मौका पर्चा दिनांक 28.08.2024 के अनुसार राजु पुत्र प्यारा जाति खाती प्रार्थी का बोलता नाम है जबकि प्रार्थी का आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेज में नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र प्यारचन्द जाति सुथार के रूप में दर्ज है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव्

—:आदेश :—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की स्वीकार किया जाकर प्रकार राजस्व ग्राम ईरास नई, पटवार हल्का सुवाणा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा के जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 की खाता संख्या नया 212 व पुराना खाता संख्या 205 में वर्णित खसरा नम्बर 3646/1 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3647/1 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3648/1 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3649 रकबा 0.5437 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3653 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3654 रकबा 0.1644 हैक्टेयर कुल किता 06 कुल रकबा 1.0115 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र प्यारचन्द सुथार इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भीलवाडा उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में संशोधन का इन्द्राज कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी किया गया है।

(आह्लाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा